

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0-46/2014

RCMS No-2014/00038

उनवान -सरकार बनाम श्री राजकुमार गर्ग (विक्रेता) एवं श्री अजयकुमार चौधरी, नोमिनी
हिन्दुस्तान कोकाकोला देवरेजेज प्रा0लि0 रीको इंडस्ट्रीयल एरिया
कालाडेशा तह0 चौमू जिला जयपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 28 की उप धारा 2(ii) 52एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -08.02.2020

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री राजकुमार गर्ग (विक्रेता) गर्ग एजेंसीज सरमथुरा रोड बाडी जिला धौलपुर एवं श्री अजयकुमार चौधरी, नोमिनी हिन्दुस्तान कोकाकोला देवरेजेज प्रा0लि0 रीको इंडस्ट्रीयल एरिया कालाडेशा तह0 चौमू जिला जयपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.05.2013 को अप्रार्थी श्री राजकुमार गर्ग (विक्रेता) गर्ग एजेंसीज सरमथुरा रोड बाडी जिला धौलपुर का निरीक्षण करने के दौरान गोदाम में 1.2 लीटर करीब 108 बोतलें फूट ड्रिक्स (माजा) आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी जो देखने पर मिथ्याछाप प्रतित हुई तो वास्ते नमूना जांच 1.2 लीटर की 12 बोतलें फूट ड्रिक्स (माजा) अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त फूट ड्रिक्स (माजा) नमूना डी-421 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 12.08.2013 के अनुसार उक्त फूट ड्रिक्स (माजा) मिसब्रान्ड प्रकृति का होना पाया गया। अनुसंधान के दौरान गर्ग एजेंसीज सरमथुरा रोड बाडी जिला धौलपुर द्वारा हिन्दुस्तान कोकाकोला देवरेजेज प्रा0लि0 कालाडेशा तह0 चौमू जिला जयपुर का कय बिल प्रस्तुत किया गया जिसे पक्षकार प्रकरण बनाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी राजकुमार गर्ग (विक्रेता) गर्ग एजेंसीज सरमथुरा रोड बाडी द्वारा दिनांक 26.3.15 को जुर्म स्वीकार करने पर उसके विरुद्ध 3000/-रु0 का जुर्माना किया गया तथा उसके द्वारा जुर्माना राशि जमा कराई गई। अप्रार्थी अजयकुमार चौधरी, नोमिनी हिन्दुस्तान कोकाकोला देवरेजेज प्रा0लि0 रीको इंडस्ट्रीयल एरिया कालाडेशा तह0 चौमू जिला जयपुर के अभिभाषक उपस्थित हुए उनके द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनर्वृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अभिभाषक को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिसब्रान्ड फूट ड्रिक्स (माजा) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिसब्रान्ड फूट ड्रिक्स (माजा) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री अजयकुमार चौधरी, नोमिनी हिन्दुस्तान कोकाकोला देवरेजेज प्रा0लि0 रीको इंडस्ट्रीयल एरिया कालाडेशा तह0 चौमू जिला जयपुर पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 500/-रुपये (पाँच सौ रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (शाखा)